रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 202] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 16, 2017/वैशाख 26, 1939
No. 202] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 16, 2017/VAISAKHA 26, 1939

केंद्रीय विश्वविद्यालय ओडिशा, कोरापुट

अधिसूचना

कोरापुट, 24 मार्च, 2017

सं. वीसीओ/के.वि.ड./2017-168.—निम्नलिखित को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

संविधी और अध्यादेश

अध्यादेश -7

नियुक्ति का लिखित अनुबंध

विश्वविद्यालय के प्रत्येक कर्मचारी को एक लिखित अनुबंध पर नियुक्त किया जाएगा, जिसका प्रारुप इसके द्वारा निर्धारित किया गया है और इस अध्यादेश के साथ जोड़ा गया है।

रु.10/- का न्यायिकेतर स्टैंप पेपर पर टाइप किया जाना है और एक मूल और दो प्रतियां प्रस्तुत करें

सेवा अनुबंध

यह अनुबंध आज दिनांक माह. वर्ष दो हजारको भारत गणराज्य और श्री. आत्मज/पुत्र/पुत्री/पत्नी. उम्र. आवास. प्रथम पक्षकार (इसके बाद प्रथम भाग का पक्ष) कहा जाएगा और केंद्रीय विश्वविद्यालय.दूसरे पक्ष के बीच किया जाता है ।

जबकि केंद्रीय विश्वविद्यालय (इसके बाद विश्वविद्यालय कहा जाएगा) प्रथम पक्ष के पार्टी(पदनाम) को के रूप में नियुक्त किया है

और प्रथम पक्ष के पार्टी ने इसके साथ निहित नियमों और शर्तों पर विश्वविद्यालय की सेवा के लिए एतद्द्वारा सहमत हैं ;

अब इन वर्तमान गवाह और पार्टियां क्रमशः निम्नानुसार सहमत हैं:

1. प्रथम भाग का पक्षकार विश्वविद्यालय और उसके प्राधिकारियों के निदेशों के अधीन कार्य करेंगे जिसके तहत और विश्वविद्यालय द्वारा समय समय पर जारी आदेश लागू होंगे और इसमें निहित नियमों और शर्तों के तहत कार्यभार लेने की तिथि (तारीख) से आरंभिक सेवा में रहेंगे।

2. प्रथम भाग का पक्षकार अपने पूरे समय और ध्यान को अपने कर्तव्यों के प्रति कुशलतापूर्वक और ईमानदारी से समर्पित करेगी और हमेशा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सेवक आचरण नियमों का पालन करेंगे जो वर्तमान समय के लिए विश्वविद्यालय की शाखा के नियमों के लिए है जिसमें वह संलग्न हो सकता है और जब भी जरूरी हो ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे उसे सौंपा जायेंगे।

3. प्रथम भाग का पक्ष शिक्षक/अधिकारी पद का होगा और उनका पदनाम. होगा(विभाग/केंद्र/कार्यालय) में कार्य करेंगे।

4. **प्रथम भाग का पक्षकार को यह लागू होने की तिथि से वेतनमान रु. में रु.(मूल वेतन सहित ग्रेड पे रु.) प्रदान किया जाएगा। वे विश्वविद्यालय /भारत सरकार के नियमों के तहत लागू सामान्य भत्ता के पात्र भी होंगे।**

5. **श्री _____ प्रथम भाग का पक्ष उन्हें लागू नियमों के अनुसार इस/उनकी समझौता अवधि के दौरान छुट्टी अर्जित करेंगे।**

6. **यदि प्रथम भाग का पक्ष को विश्वविद्यालय सेवा के हित में यात्रा करना पडता है तो विश्वविद्यालय में उनके समान हद के अधिकारियों को लागू वेतन पर यात्रा भत्ता के लिए भी पात्रता होंगे।**

7. **उनकी समझौता को दूसरे पक्ष द्वारा लिखित रूप से तीन माह का नोटिस देकर अधिवर्षिता की आयु कथित अवधि के भीतर किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है । परंतु दूसरे पक्ष द्वारा इस सूचना के स्थान पर तीन माह के वेतन के समान राशि का भुगतान प्रथम पक्ष को कर सकता है। .**

8. **प्रथम भाग का पक्ष लागू नियमों के अनुसार विश्वविद्यालय भविष्य नई पेंशनयोजना/पेंशन/के लाभ का पात्र होंगे।**

9. **किसी भी मामले में जिसके संबंध में कोई प्रावधान इस/उनकी समझौता में बनाया नहीं गया है, भारत के संविधान की धारा 309 ख और 313 के तहत बनाये गये अथवा मान लिये गये नियमों का प्रावधान, विश्वविद्यालय सेवा में अध्यापक/अधिकारी की श्रेणी में भरी गयी कर्मचारियों के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा बनाये गये किसी भी अधिनियम अथवा नियम के प्रावधान उस सीमा तक लागू होगा जिनसे प्रथम भाग का पक्ष की सेवा में उनकी समझौता के तहत लागू होता है और उनकी अनुप्रयोज्यता के बारे में विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम होगा**

प्रथम भाग का पक्षकार की गवाही में और (नाम) कुलसचिव कार्यकारी परिषद के आदेश और दिशा से और के लिए और की ओर से काम कर रहे हैं, भारत गणराज्य के वर्ष को अपना हस्ताक्षर किया है।

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर :

की उपस्थिति में:

गवाह: 1)

2)

(नई दिल्ली में दिनांक 16.07.2010 को आयोजित 5वीं बैठक में कार्यकारी परिषद द्वारा अनुमोदित, संदर्भ मद संख्या 05/11)

IndiaCode

अध्यादेश -12

डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र और अन्य शैक्षणिक विशेष योग्यता प्रदान करना,

उसी के लिए योग्यताएं और उसे प्रदान करने और प्राप्त करने

संबंध में उपाय किया जाना है ।

विशिष्ट उपाधियों को छोडकर सभी सभी डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाण पत्र आवश्यक –निर्धारित शिक्षण/सीखने की प्रक्रिया पूरा करने और नियमों के अनुसार परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर प्रदान किये जाएंगे । यूजूसी और अन्य विनियामक निकाय द्वारा समय समय पर निर्धारित नियमों अपने आप लागू होंगे । कार्यकारी परिषद शैक्षणिक परिषद की संस्तुति पर अन्य शैक्षणिक उपाधियों के वितरण को अनुमोदन कर सकता है ।

1. केवल कुलपति का अधिकार होगा कि अकादमिक परिषद की सिफारिश नैतिक तपस्या या भारत के भीतर या बाहर आपराधिक न्यायालय में दोषसिद्धी के आधार पर किसी भी डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाण पत्र ऐसा कि विशिष्ट उपाधियों को स्वीकार अथवा निरस्त के लिए शैक्षणिक परिषद को सिफारिश कर सकता है । शैक्षणिक परिषद ऐसे प्रस्ताव पर विचार कर सकता है और अपनी संस्तुति कार्यकारी परिषद को अग्रेषित कर सकता है। कार्यकारी परिषद में किसी भी डिग्री, डिप्लोमा प्रमाणपत्र को वापस लेने की शक्ति निहित रहेगी ।

(नई दिल्ली में दिनांक 30.09.2010 को आयोजित 6वीं बैठक में कार्यकारी परिषद द्वारा अनुमोदित , संदर्भ मद संख्या 06-*4*4)

अध्यादेश -15

वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन

केन्द्रीय विश्वविद्यालय ओड़िशा के अधिकारियों को वित्तीय शक्ति का प्रत्यायोजन भारत सरकार के वित्तीय नियमों के प्रत्यायोजन में निर्धारित प्रत्यायोजन के अनुसार होगा ।

(नई दिल्ली में दिनांक 16.07.2010 को आयोजित 5वीं बैठक में कार्यकारी परिषद द्वारा अनुमोदित, संदर्भ मद संख्या 05-8 को लें और दिनांक 16.07.2010 को आयोजित वित्तीय समिति की पहली बैठक में अनुमोदित, मद संख्या 6 का संदर्भ लें)

अध्यादेश - 25

क्रीडा एवं खेलकूद समिति

केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 28 (1) (ण)

1. निम्नलिखित विश्वविद्यालय में एक खेलकूद समिति रहेगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे -
 - क. छात्र कल्याण अधिष्ठाता अध्यक्ष होंगे
 - ख. कुलपति द्वारा नामांकित दो प्रमुख खिलाड़ी;
 - ग. विभिन्न क्रीडा एवं खेल कूद क्लबों के अध्यक्षगण ;
2. एक वर्ष के लिए अध्यक्ष दावरा नामित पंजी में रहे छात्रों में से एक उत्कृष्ट खिलाड़ी और
3. क्रीडा एवं खेलकूद समिति के सदस्य सचिव शारीरिक शिक्षा निदेशक पदेन सदस्य सचिव होंगे
4. समिति का कर्त्तव्य रहेगा कि :
 - क. विश्वविद्यालय में उपलब्ध खेल प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए उपाय करेगा
 - ख. विश्वविद्यालय में खेलकूद की व्यवस्था करना और निगरानी रखेगा और इस संबंध में विनियमों को तैयार करेगा ;
 - ग. खेल कूद के लिए बजटीय आवश्यकताओं का प्रस्ताव रखेगा ;
 - घ. विभिन्न क्लबों को वित्त आवंटन करेगा;
 - ङ. विश्वविद्यालय के खेल-मैदान, जिमनासिया, स्विमिंग पूल और अन्य खेल सुविधाओं को बनाए रखेगा;

च. प्रतियोगिताएं, टूर्नामेंट, आथेलेटिक बैठकें आदि का आयोजन करेगा;

छ. स्पोर्ट्स कोटा के अंतर्गत प्रवेश के लिए उत्कृष्ट खिलाड़ियों के नामों को नामित करने के लिए कुलपति के पास सिफारिश करेगा, यदि कोई हो तो ;

ज. खिलाडिय़ों को प्रशिक्षण/कोचिंग सुविधाएं/छात्रवृत्ति के लिए उत्कृष्ट खिलाडियों का नाम कुलपति के पास सिफारिश करेगा, यदि कोई हो तो;

झ. ऐसे अन्य कार्य निष्पदित करेगा जो कार्यकारी परिषद / शैक्षणिक परिषद / कुलपति द्वारा समय-समय पर सौंपा जाए।

5. निदेशक, शारीरिक शिक्षा विद्यार्थी कल्याण अधिष्ठाता की देखरेख में बजट को चलायेंगे ।

6. यह समिति निदेशक, शारीरिक शिक्षा के पर्यवेक्षण में एक सेमेस्टर में कम से कम एक बार अपनी बैठक आयोजित करेगी :

7. कुल सदस्यों की एक-तिहाई भाग समिति की एक बैठक के लिए कोरम बनेगा ।.

अध्यादेश - 28

छात्रों को शुल्क मुक्ति अनुदान
(अधिनियम की धारा 28(1) (च))

1) विद्यापीठ के अधिष्ठाता, निम्नलिखित सदस्यों को लेकर गठित समिति की सिफारिश पर, इस संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित प्रतिशत तक शुल्क मुक्ति प्रदान करेगा :

i) अधिष्ठाता- अध्यक्ष;

ii) संबंधित विद्यापीठ के सभी विभागों/केंद्रों के प्रमुखों

iii) कुलपति द्वारा नामित प्रत्येक विभाग/केंद्र से एक एक विद्यार्थी.

2) यदि शुल्क मुक्ति के लिए आवेदकों की संख्या उपलब्ध शुल्क मुक्ति की संख्या से अधिक हो तो यह समिति उप-खंड (i) का संदर्भ ले कर आवेदकों में से कुछ को शुल्क माफ के लिए सिफारिश कर सकता है, ताकि शुल्क मुक्ति कुल निर्धारित प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।

3) शुल्क में रियायत के लिए आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में विभाग/केंद्र के प्रमुख के माध्यम से संबंधित विद्यापीठ के अधिष्ठाता के पास अगस्त तक या 31 अधिष्ठाता द्वारा निर्दिष्ट ऐसी अन्य तारीख तक प्रस्तुत किया जाएगा । उस तिथि के बाद प्राप्त आवेदन आम तौर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

4) शुल्क मुक्ति के लिए छात्रों के आवेदनों को सिफारिश करते समय निम्नलिखित कारकों के प्रति ध्यान दिया जाएगा:

i) छात्र का अकादमिक रिकॉर्ड;

ii) शुल्क मुक्ति के नवीकरण के मामले में अध्ययन में उसकी प्रगति;

iii) उनकी आर्थिक स्थिति; और

iv) कोई अन्य कारक, जो भी रिकार्ड किया जाएगा .

जिन छात्रों को रियायत आम तौर पर दी गयी है उन छात्रों की सूची 31 दिसम्बर तक अधिसूचित की जाएगी

नोट: छात्र को आर्थिक मानदंडों को पूरा करना चाहिए अर्थात् जो छात्र कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना संख्या 36012/22/93–स्था (एससीटी), दिनांक 8.11.1993 में परिभाषित और समय समय पर संशोधित के अनुसार गैर-नवोन्नत वर्ग के अंतर्गत हैं और आर्थिक मानदंडों को पूरा करने के लिए छात्र को निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय

IndiaCode

प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है जिसमें स्पष्ट रूप से सभी स्रोतों से वार्षिक आय को इंगित करते हुए अलग-अलग रूप से अपने अभिभावकों/माता-पिता की आय के स्त्रोतों का संकेत होना आवश्यक है । किसी भी स्तर पर प्राप्त आवेदन के साथ आय प्रमाण पत्र और/या अन्य संलग्न दस्तावेजों में कोई जानबूझकर मिथ्याकरण पाये जाने पर उसे एक गंभीर अपराध के रूप में माना जाएगा और विश्वविद्यालय के नियमों के तहत गंभीर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है ।

5) वर्ष के दौरान की गयी शुल्क माफ को अगले वर्ष में अपने आप नवीनीकृत नहीं किया जाएगा। ऐसी रियायत की आवश्यकता को पाने वाले छात्रों को हर साल नया आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिस पर वर्ष में प्राप्त नए आवेदनों के साथ विचार किया जाएगा। ।

6) एक छात्र को दिए गए फ्रीशिप को रद्द किया जा सकता है - अगर उसका आचरण या अध्ययन में प्रगति असंतोषजनक पाया जाता है अथवा उसकी वित्तीय स्थिति में सुधार होता है और उसे अब शुल्क रियायत की आवश्यकता नहीं है ।

7) फीस रियायत (शिप-आधे फ्री / शिप-फ्री) केवल उस शैक्षणिक वर्ष की ट्यूशन फीस तक ही सीमित है।

8) यदि कोई छात्र, जिसे फ्रीशिप मंजूरी दे दी गई है-आधे फ्री / शिप-, वह पहले ही शुल्क अदा कर चुका है, उस शुल्क की प्रतिपूर्ति हो सकती है । अगर, छात्र ने फीस का भुगतान नहीं किया है, शुल्क रियायत को फीस और किसी अन्य बकाया के लिए समायोजित किया जाएगा।

अध्यादेश 31

विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा संस्थानों और इसके परिसर में रैगिंग अपराध निषेध

(अधिनियम की धारा 28 (ढ) के तहत)

"उच्च शिक्षा संस्थानों में रैगिंग अपराध निषेध विनियम (2009)" के तहत रैगिंग प्रतिबंध और दंडनीय है जैसा कि यूजीसी द्वारा समय समय पर जारी और संशोधित किया जाता है ।

अध्यादेश - 32

अधिष्ठाता की नियुक्ति, कार्य, कर्त्तव्य और जिम्मेदारियां

केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 28 (1) खंड 5 (3) के अंतर्गत

1) विद्यापीठ के अधिष्ठाता की नियुक्ति कुलपति द्वारा संबंधित विद्यापीठ के प्रोफेसरों में से वरिष्ठता के क्रम में चक्रानुक्रम आधार पर की जाएगी ।

2) परंतु विद्यापीठ में कोई प्रोफेसर नहीं है, तो स्कूल के एसोसिएट प्रोसेसरों में से फिलहाल वरिष्ठता के क्रम में चक्रानुक्रम आधार पर नियुक्त किया जाएगा ।

3) विद्यापीठ के अधिष्ठाता का कार्यकाल तीन वर्ष का अथवा उनकी अधिवर्षिता आयु तक, जो भी पहले हो, होगा ।

4) विद्यापीठ के अधिष्ठाता विद्यापीठ का प्रमुख होगा तथा उन्हें विद्यापीठ की बैठक बुलाने और अध्यक्षता करने की शक्ति होगी ।

5) विद्यापीठ के अधिष्ठाता विद्यापीठ में शिक्षण और अनुसंधान के संचालन और मानकों के बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होगा:

क. कार्यकारी परिषद द्वारा समय-समय पर यथा अनुमोदित भत्ते और सुविधाओं के लिए पात्रता रहेगा ।

ख. विद्यापीठ की नीति, पाठ्यक्रम नियोजन और विद्यापीठ की गतिविधियों के कार्यान्वयन में प्रभावी नेतृत्व और मार्गदर्शन प्रदान करेगा ।

IndiaCode

ग. विद्यापीठ के भीतर समग्र समन्वय के लिए उत्तरदायी रहेगा और परीक्षाओं के संचालन और अंक पत्र प्रदान करने के कार्य का भी समन्वय रहेगा।

घ. विद्यापीठ के संपूर्ण निष्पादन और अनुशासन के लिए जिम्मेदार रहेगा।

ङ. विद्यापीठ के अंतर्गत सभी भवनों और संपत्तियों के संपूर्ण प्रशासन, समारक्षण और रखरखाव- के लिए जिम्मेदार रहेगा।

च. विद्यापीठ के बजट का प्रचालन करेगा।

छ. उनके अधीन रिकॉर्ड, फर्नीचर और उपकरणों के लिए जिम्मेदार रहेगा।

ज. संबंधित विद्यापीठ का नामावली से विद्यार्थी के नाम को हटा देने और पुनः प्रवेश देने के लिए शक्ति में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से संपन्न रहेगा।

झ. वैध कारणों से विद्यापीठ छात्र की हॉल टिकट को रोकने के लिए शक्ति संपन्न रहेगा और

ञ. प्रत्यायोजित और सौंपे गये अन्य शक्तियों का प्रयोग और अन्य कार्यों का निष्पादन करेगा।

IndiaCode

अध्यादेश संख्या - 36

विद्यार्थियों के आवास के लिए शर्तें और विश्वविद्यालय के प्रोवोस्ट एवं वार्डल के कार्य, कर्त्तव्य, उत्तरदायित्व, और नियुक्ति की प्रक्रिया

केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 28(1)(ज) और 28(2) के तहत

1) निवासी छात्रों के लिए निवास के हॉल होंगे। प्रत्येक हॉल निवास में कई हॉस्टेल होंगे जैसा कि अकादमिक परिषद द्वारा समय-समय पर आबंटित किया जा सकता है।

2) सीटों की उपलब्धता के आधार पर छात्रों को निवास/ हॉस्टल के हॉल में प्रवेश कराया जाएगा। छात्रों में से जो निवास/ हॉस्टल के हॉल में दाखिला नहीं होंगे उन्हें नॉन रेसिडेंट विद्यार्थी केंद्र (NRSC) के सदस्य के रूप में माना जाएगा।

3) विश्वविद्यालय के छात्रावास में रहने वाले छात्रों को कार्यकारी परिषद द्वारा समय समय पर-निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। इसी प्रकार, एनआरएससी के सदस्यों को समय-समय पर कार्यकारी परिषद द्वारा निर्धारित सदस्यता शुल्क का भुगतान करना होगा।

4) प्रत्येक निवास हॉल में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित ऐसे रजिस्टरों और रिकॉर्ड रखेंगे और जिसे और समय-समय विश्वविद्यालयकी आवश्यकता के अनुसार ऐसी सांख्यिकीय जानकारी के लिए प्रस्तुत करेंगे।

5) प्रत्येक निवासी को छात्रावास के नियमों के अनुसार अनुशासन का पालन करना होगा।

6) हॉस्टल में रहने वाले छात्र निम्नलिखित विनियमों द्वारा परिचालित होंगे :

 क) छात्रावास में रहने वाले छात्रों को प्रयेत्क दिन शाम 8.00 बजे रोल कॉल के लिए कॉमन हॉल में इकट्ठा होना होगा।

 ख) छात्रावास में रहने वाले छात्रों को केवल ऐसे आगन्तुकों को रविवार/अवकाश के दिनों और अन्य अनुमोदित दिनों के शाम 5.00 बजे से 6.30 बजे तक आगंतुक कमरे में मिलने की अनुमति दी जाएगी जिहें उनके कानूनी या / स्थानीयअभिभावक द्वारा लिखित रूप में अनुमति मिली है।

ग) महिला छात्रावासों में रहने वाली महिला छात्राओं के प्राकृतिक कानूनी/अभिभावक को स्थानीय अभिभावक (कों) को नामांकित करना होगा और उनके फोटो को एक निर्धारित प्रपत्र में चिपकाना होगा । ये फॉर्म संबंधित प्रशासनिक वार्डन की हिरासत में रहेगा।

घ) जो छात्र कुछ घंटो के लिए छात्रावास से बाहर कुछ खरीदने के लिए या किसी अन्य वैध कारण के लिए छात्रावास से बाहर जाना चाहता है तो उसे प्रशासनिक वार्डन/वार्डन की पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी । दी गई अनुमति का एक रिकॉर्ड रजिस्टर में रखा जाएगा।

ङ) हॉस्टल में न रहने वाले किसी छात्र को कमरे में मेहमान के रूप में रखा नहीं जाएगा । असाधारण मामलों या निकट संबंधी के लिए छात्र वार्डन से अनुरोध किया जाएगा ।

7) मुख्य वार्डन ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे और निवास के हॉल में अनुशासन के रखरखाव के संबंध में इस तरह के कर्तव्यों का पालन करेंगे, जैसा कि उन्हें कुलपति सौंपेंगे / देंगे।

8) मुख्य वार्डन तीन साल की अवधि के लिए अधिकारी पद पर रहेंगे और पुन नियुक्ति के लिए पात्र होंगे ।

9) मुख्य वार्डन कार्यकारी परिषद द्वारा समय समय पर अनुमोदित भत्ते और सुविधाओं को पाने के लिए हकदार होंगे ।

10) वार्डन द्वारा मुख्य वार्डन की सहायता की जाएगी, जिनकी नियुक्ति तीन वर्षों के लिए कार्यकारी परिषद द्वारा समय-समय पर निर्धारित शर्तों और नियमों पर कुलपति द्वारा की जाएगी ।

11) मुख्य वार्डन की शक्ति यह होगी कि :

क. आवास के हॉल में अनुशासन के किसी भी उल्लंघन का संज्ञान लेंगे, और यदि परिस्थितियों की आवश्यकता होती है तो ऐसे मामलों में तत्काल अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे ।

ख. निवासियों के कल्याण और अनुशासन के लिए हॉल में हॉस्टल के समग्र कामकाज से संबंधित मामलों में, अपने प्रभार में रहे, निवास के हॉल की निगरानी करेंगे ।

ग. समय-समय पर हॉस्टल का निरीक्षण करें और वार्डन, स्टाफ और छात्रों के संपर्क में रहेंगे;

घ. छात्रावास नियमों के अनुसार किसी भी मेहमान को ठहरने के लिए अनुमति देंगे ;

ङ. दंडात्मक कार्रवाई करेंगे जिसमें छात्रावास से एक निवासी के निष्कासन का आदेश शामिल है;

च. मैस बिलों का भुगतान न करने वाले निवासी छात्रों के संबंध में मैस सुविधाओं को बंद कर देंगे ; और

छ. कुलपति के उचित अनुमोदन से आवास के हॉल के बजट को तैयार करेंगे और संचालित करेंगे ;

ज. हॉल में वार्डन की छुट्टी मंजूर करेंगे ;

12) मुख्य वार्डन जिम्मेदार रहेंगे :

क) आवास के हॉल में अनुशासन और सजावट बनाये रखने को सुनिश्चित करने के लिए ;

ख) हॉल के स्वास्थ्य, स्वच्छता, बीमारी, भोजन, स्वच्छता और स्वच्छता से संबंधित सभी मामलों के लिए;

ग) मैस के कामकाज और मेस स्टाफ के कामकाज की निगरानी के लिए ;

घ) सभी खरीद और दुकान सामानों का उपार्जन, प्रावधान, आदि के पर्यवेक्षण के लिए;

ङ) प्राप्ति की शुद्धता, मैस स्टोर्स जारी करने, क्रॉकरी इत्यादि और या स्टॉक संतुलन /को सुनिश्चित करने के लिए।

च) स्टॉक रजिस्टर के संदर्भ में आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त बिलों और स्टॉक रजिस्टर के सत्यापन के लिए;

छ) अस्थायी अग्रिम के आहरण और समायोजन के लिए ;

ज) विश्वविद्यालय के सुरक्षा कर्मचारियों के साथ समन्वय में हॉस्टल की समग्र सुरक्षा के लिए

13) प्रत्येक छात्रावास में वार्डन होंगे, जिनकी नियुक्ति समय-समय पर कार्यकारी परिषद द्वारा निर्धारित- ऐसे नियमों और शर्तों पर विश्वविद्यालय के शिक्षकों में से तीन साल की अवधि के लिए कुलपति द्वारा होगी।

14) दो सौ छात्रों के लिए प्रत्येक छात्रावास में अधिकतम चार वार्डन होंगे.

15) यदि आवश्यक हो तो मुख्य वार्डन, वार्डनों में से छात्रावास में वरिष्ठ वार्डन, वार्डन (मैस), वार्डन (खेल), वार्डन आदि के रूप में (कॉमन रूम) पदनामित कर सकते हैं।

16) वार्डन कार्यकारी परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित मानदेय पाने के लिए हकदार होंगे।

17) वार्डन को आमतौर पर अपने कार्यकाल के दौरान वार्डन के आवास में रहने की आवश्यकता होगी। अपने पद की समाप्ति पर या अपनी नियुक्ति की समाप्ति पर वार्डन को अपना आवास खाली करना होगा।

18) वार्डन को अपने कार्यकाल के दौरान 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए छुट्टी पर जाने से पहले अपने कमरे खाली करने होगें, अन्यथा कमरे को रखने के लिए संबंधित मुख्य वार्डन की सिफारिश पर कुलपति से विशेष अनुमति लेनी होगी।

19) हॉस्टल के वार्डन इस तरह के कर्तव्यों का पालन करेंगे जैसे जैसे कार्य प्रोवोस्ट समय पर उन्हें सौंपेंगे और वे मुख्य वार्डन के सर्वप्रभार के तहत कार्य करेंगे । प्रवोस्ट द्वारा दिए गए विशिष्ट कर्तव्यों के अलावा, वार्डन होंगे :

क) निवासी छात्रों के स्वास्थ्य, स्वच्छता, सानिटेशन, स्वच्छता और भोजन के लिए जिम्मेदार;

ख) छात्रावास में अनुशासन और सजावट को बनाये रखने के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किए गए नियमों का पालन अपने प्रभार में रहे छात्रों में सुनिश्चित करने के लिए ;

ग) होस्टल कमरे का निरीक्षण करने का अधिकार रहेगा;

घ) छात्रावास को सुचारु रूप से चलाने के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से जिम्मेदार रहेंगे;

ङ) यह निश्चत करायेंगे कि अपने प्रभार में रहे आवासिक विद्यार्थीगण होस्टल नियमों को ठीक से मानते हैं और अनुशासन और सजावट बनाए रखते हैं और अपने प्रभार में रहे आवासिक विद्यार्थियों दुर्व्यवहार, अनुशासनहीनता और बीमारी के बारे में तत्काल मुख्य वार्डन को रिपोर्ट करते हैं;

च) कार्यालयीन काम के लिए और आवासिक छात्रों की समस्याओं को समाधान करने के लिए निर्दिष्ट समय में छात्रावास कार्यालय में प्रतिदिन उपलब्ध होंगे;

छ) अपने प्रभार के तहत रहे हॉस्टेल से संबंधित संपत्तियों के उचित रखरखाव और देखभाल के लिए जिम्मेदार रहेंगे;

ज) होस्टल कमरे और अतिथि कमरे आबंटित करेंगे और निगरानी रखेंगे;

झ) आवासिक छात्र रजिस्टर और अतिथि कक्ष रजिस्टर की जांच करेंगे;

ञ) यदि आवश्यक हो तो दिन की अवधि तक एक आवासिक छात्र के अतिथि को ठहरने से लिए अनुमति देंगे;

ट) किसी अनधिकृत अतिथि को रखने के लिए किसी आवासिक छात्र के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे;

ठ) जब आवश्यक हो, आवास छात्र के कमरों को पुनः खोलने की आवश्यकता से दो चाबी रखने के लिए आदेश देंगे;

ड) वरिष्ठ वार्डन के परामर्श से आवासी छात्रों के निष्कासन के लिए कार्रवाई करेंगे; और

ढ) केयारटेकर की सहायता से हॉस्टल के फर्नीचर और फिटिंग का समय-समय पर सत्यान करेंगे और अतिरिक्त फर्नीचर प्राप्त करने के लिए उनकी मरम्मत प्रतिस्थान के लिए कार्रवाई करेंगे ।

IndiaCode

20) जिस शिक्षक जो वार्डन के रूप में नियुक्त दिया गया है उसे प्रोवोस्ट की पूर्व अनुमोदन के बिना छुट्टी मंजूर नहीं की जाएगी । जब एक वार्डन छुट्टी पर है, उसकी उसकी जिम्मेदारियों और कार्यों को उसकी अनुपस्थिति की अवधि के दौरान अन्य वार्डन के बीच वितरित किया जाएगा।

21) मुख्य वार्डन के लिए मानदेय रु 2500.00 प्रति माह और वार्डन के लिए रु.1500.00 प्रति माह है।

22) वास्तविक बिल के प्रस्तुत करने पर रु. 500.00 प्रति माह की अधिकतम राशि तक टेलीफोन सेल फोन बिल की प्रतिपूर्ति की जा सकती है ।

अध्यादेश - 37

विश्वविद्यालय की पुस्तकालय समिति

केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 28 (1) (ण) के तहत

1) विश्वविद्यालय में एक पुस्तकालय समिति होगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे , जिनका नाम हैं;

क) कुलपति, अध्यक्ष होंगे

ख) प्रति-कुलपित

ग) कुलसचिव

घ) वित्त अधिकारी

ङ) डीएसडब्ल्यू सहित विद्यापीठों के अधिष्ठातागण

च) वरिष्ठता के क्रम में रोटेशन से कुलपति द्वारा प्रत्येक विद्यापीठ के वरिष्ठ प्रोफेसर को नियुक्त किया जाएगा

छ) विभिन्न विद्यापीठों से कुलपति द्वारा तीन संकाय सदस्यों को नामित किया जाएगा

ज) पुस्तकालयाध्यक्ष, जो समिति के संयोजक होंगे

2) पुस्तकालय समिति के सदस्यों की अवधि, पदेन सदस्यों के अलावा एक कैलेंडर वर्ष होगा ।

3) यह समिति का काम होगा :

क. विश्वविद्यालय के केंद्रीय पुस्तकालय और अन्य सभी पुस्तकालयों पर सामान्य पर्यवेक्षण करेगी;

ख. अकादमिक परिषद के अनुमोदन के तहत पुस्तकालयों के प्रबंधन और उपयोग के लिए विनियम तैयार करेगी;

ग. विभिन्न विभागों के लिए धन आवंटित करेगी, पुस्तकालय और अन्य पुस्कालयों की आवश्यकताओं का आकलन करेगी और बजट तैयार करके संबंधित अधिकारियों के पास जमा करेगी;

घ. विश्वविद्यालय के सभी पुस्तकालयों के कामकाज को प्रतिवर्ष शैक्षणिक परिषद के सामने प्रस्तुत करेगी;

ङ. पुस्तकालयों में किसी भी नई पद की सृजन पर कार्यकारी परिषद को सिफारिश करेगी;

च. विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों के विकास के विषय में प्रस्ताव तैयार करेगी और वितरित करेगी;

4) समिति एक वर्ष में कम से कम दो बार बैठक बुलाएगी।

5) समिति की बैठक के लिए सदस्यों की कुल संख्या का 50% से कोरम का गठन होगा।

6) संयोजक प्रत्येक सदस्य को बैठक बुलाने के लिए नोटिस जारी करेगा और सात दिन पहले कार्यसूची की एक प्रति समिति की प्रत्येक साधारण बैठक के सामने प्रस्तुत करेगा । अतिरिक्त साधारण बैठक के मामले में, बैठक होने के कम से कम 24 घंटे पहले बैठक की सूचना और कार्यसूची भेजा जाना है ।

IndiaCode

अध्यादेश - 38

विद्यापीठ बोर्ड का गठन, शक्ति और कार्य

(केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 के नियमों का परिनियम 15(3) और (4) के तहत**)**

1) प्रत्येक विद्यापीठ में एक विद्यापीठ बोर्ड रहेगा जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे:

क) विद्यापीठ के अधिष्ठाता अध्यक्ष होंगे ;

ख) विद्यापीठ के विभाग प्रमुखों;

ग) विद्यापीठ के केंद्रों का निदेशकगण;

घ) विद्यापीठ के सभी प्रोफेसरगण;

ङ) विद्यापीठ में प्रत्येक विभाग/ केन्द्र से वरिष्ठता के क्रम में रोटेशन द्वारा प्रत्येक विभाग/केंद्र से एक एसोसिएट प्रोफेसर को नियुक्त किया जाना है;

च) विद्यापीठ में प्रत्येक विभाग/वरिष्ठता के क्रम में रोटेशन द्वारा प्रत्येक विभाग से केन्द्र/केंद्र से एक सहायक प्रोफेसर को नियुक्त किया जाना है;

छ) अकादमिक परिषद द्वारा नामित, विषय या संबंधित विषयों का विशेष ज्ञान रखने वाले विश्वविद्यालय की सेवा में रहे तीन विशेषज्ञ, जिसके चारों ओर स्कूल में विभाग/केन्द्रों का आयोजन किया जाता है;

ज) समवर्गी और संकाय विद्यालयों/ विषयों के प्रोफेसरों में से कुलपति द्वारा नामित दो प्रोफेसर;

2) पदेन सदस्यों के अलावा अन्य सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा और वे फिर से नामांकन के लिए पात्र होंगे।

3) विद्यापीठ बोर्ड विश्वविद्यालय के शैक्षणिक परिषद के समग्र पर्यवेक्षण करने के तहत, निम्नलिखित कार्य निष्पादन करेंगे :

क) विद्यापीठ के विभागों/केन्दों में अध्ययन के विभिन्न कार्यक्रमों में उम्मीदवारों के प्रवेश की योग्यता और प्रक्रियाओं को निर्धारित करेगा;

ख) विद्यापीठ में विभागों/केन्दों में शिक्षण और अनुसंधान कार्य के बीच समन्वय करेगा;

ग) अध्ययन बोर्ड द्वारा की गयी सिफारिश के अनुसार विभिन्न डिग्री के अनुसंधान के लिए विषय और डिग्री की अन्य आवश्यकताओं पर विचार करेगा और अनुमोदन करेगा;

घ) विषयों या क्षेत्रों में शिक्षण और अनुसंधान कार्य को व्यवस्थित करने के लिए समितियों का गठन करना, जो विद्यापीठ के किसी भी विभाग केंद्र के क्षेत्र के भीतर / नहीं आता है और ऐसी समितियों के काम की निगरानी करेगा;

ङ) शैक्षणिक परिषद को शिक्षण पदों के सृजन या उन्मूलन की सिफारिश करेगा और ऊपर खंड (घ) में वर्णित विभाग/केंद्र अथवा समितियों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करेगा;

च) शिक्षण और शोध के मानकों की उन्नति के लिए योजनाओं पर विचार करेगी और इस संबंध में शैक्षिक परिषद में प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा ;

छ) विद्यापीठ के भीतर शोध को बढ़ावा देगी और समीक्षा करेगी और अनुसंधान पर रिपोर्ट बनाकर शैक्षिक परिषद को प्रस्तुत करेगा ;

ज) निरंतर आंतरिक मूल्यांकन के लिए सामान्य नियम और दिशानिर्देश तैयार करेगा जिसमें शामिल है काउंसिलिंग गतिविधियाँ और ट्यूटोरियल (सीएटी), कार्य, क्विज़, सत्रिय कार्य, मध्य अवधि और अंतिम सेमेस्टर परीक्षा;

IndiaCode

झ) योग्य पाए जाने वाले उम्मीदवारों अनुसंधान डिग्री प्रदान करने के लिए और ऐसी डिग्री पाने के लिए उचित पाए जाने वाले उम्मीदवारों के लिए सफारिश शैक्षणिक परिषद के पास प्रस्तुत करेगा;

ञ) विद्यापीठ के छात्रों के कल्याण के बारे में किसी भी प्रस्ताव पर विचार करेगा और काम करेगा;

ट) इस अधिनियम, परिनियम और अध्यादेश द्वारा दिये गये अन्य कार्यों को निष्पादन करेगा और कार्यकारी परिषद, शैक्षिक परिषद या उपकुलपति द्वारा संदर्भित अन्य सभी विषयों पर विचार कर सकता है; और

ठ) समय समय पर बोर्ड द्वारालिये गये निर्णय के अनुसार अधिष्ठाता, अथवा बोर्ड अथवा समिति के किसी अन्य सदस्य को ऐसी सामान्य या विशिष्ट शक्तियां प्रदान करेगा ।

विद्यालय बोर्ड की बैठकें

4) बोर्ड प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में कम से कम दो सामान्य बैठकों का आयोजन करेगा, प्रत्येक सेमीस्टर में एक बार;

5) अधिष्ठाता अपनी खुद की पहल पर अथवा कुलपति की सुझाव पर अथवा बोर्ड सदस्यों के कम से कम एक-पांचवा भाग सदस्यों के लिखित अनुरोध पर बोर्ड की विशेष बैठकें आयोजन कर सकता है;

कोरम

6) बोर्ड की बैठक के लिए कोरम अपने कुल सदस्यों का एक तिहाई होगा।

नोटिस

7) बैठक के लिए तारीख निर्धारित करने के कम से कम 14 दिन पहले बोर्ड की बैठक की नोटिस जारी होनी चाहिए।

8) अधिष्ठाता संक्षिप्त सूचना देकर बोर्ड की आपात बैठक आयोजित कर सकता है।

कार्य नियम

9) बैठकों के संचालन के नियम इस संबंध में निर्धारित विनियम द्वारा होगा ।

अध्यादेश - 39

छात्र संघ

[केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 35(2) के तहत]

1. विश्वविद्यालय में एक छात्र संघ रहेगा ।

2. संघ का उद्देश्य होगा कि विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को बढ़ावा देना, विश्वविद्यालय के स्नातकों के बीच संपर्क और एकता बनाए रखना, और विश्वविद्यालय के विकास के लिए धन जुटाना है।

3. संघ की सदस्यता विश्वविद्यालय के सभी डिग्रीधारकों के लिए खुली होगी, ऐसा कि डिप्लोमा और प्रमाण पत्र धारकों को भी ।

4. संघ की सदस्यता शुल्क प्रति वर्ष रु.500/- होगी और आजीवन सदस्य के लिए रु. 10,000/- होगी अथवा विश्वविद्यालय के कार्यकारी परिषद द्वारा समय-समय पर लिये गये निर्णय के अनुसार होगा ।

5. छात्र संघ प्रवेश शुल्क रु.100/- भी होगा जो जिसकी वसूली विश्वविद्यालय में छात्रों के प्रवेश के समय की जाएगी ।

6. सदस्यता के लिए आवेदन प्रपत्र विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किया जाएगा ।

7. संघ की कार्यकारी समिति बनेगी (क) सभापति (ख) उप-सभापति (ग) महासचिव (घ) संयुक्त सचिव (ङ) 10 अन्य सदस्य।

IndiaCode

8. कुलपति पदेल संरक्षक होंगे । संघ के सभी अन्य पदाधिकारियों और सदस्यों को तीन साल की अवधि के लिए चुना जाएगा ।

9. संघ का कोई भी सदस्य मतदान के लिए या चुनाव के लिए खड़े होने का हकदार नहीं रहेगा, जब तक वह चुनाव की तारीख से कम से कम एक साल पहले संघ का सदस्य न बना हो और कम से कम पांच साल विश्वविद्यालय के एक डिग्री धारक हो।

10. बशर्ते कि एक वर्ष की सदस्यता के समापन से संबंधित स्थिति प्रथम चुनाव के मामले में लागू नहीं होगी।

11. संघ का धन विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी द्वारा प्रबंधित किया जाएगा जो इस उद्देश्य के लिए एक अलग खाता बनाए रखेगा ।

12. संघ के चुनाव और उसकी सभी बैठकें नियम द्वारा निर्धारित तरीके से आयोजित की जाएगी ।

13. अध्यादेश के किसी खंड को संचालित करने में किसी प्रकार की कठिनाई का मामला कुलपति के पास भेजा जाएगा और उस पर कुलपति का निर्णय अंतिम होगा ।

अध्यादेश - 43

छात्रवृति, अध्येतावृत्ति, पदक तथा पुरस्कार प्रदान

[केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 6 (1) (xii) और 28 (1) (च) के तहत]

बडी वित्तीय तनाव के बिना विश्वविद्यालय में वित्तीय तनाव के बिना पढ़ाई और शोध के पाठ्यक्रमों में अध्ययन के लिए मेधावी और योग्य छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए, काफी संख्या में छात्रवृत्ति, अध्येतावृत्ति, स्टुन्डेटशीप, शुल्क-मुक्ति, वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रयास करेगा और पदक एवं पुरस्कार प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय प्रयास करेगा ।

1. धन की उपलब्धता के तहत विश्वविद्यालय के छात्रों को पुरस्कृत करने के लिए हर विषय में छात्रवृत्ति स्थापित किया जाएगा । विनियमों में पुरस्कार के लिए नियम निर्धारित किए जाएंगे।

2. यूजीसी के मानदंडों के अनुसार प्रत्येक विद्यापीठ में टियूशन फीस अर्ध और पूर्ण फ्रिशिप के रुप में फीस में छूट दी जाएगी।

3. निधि की उपलब्धता के आधार पर, मेरिट स्कॉलरशिप की एक योजना भी होगी और प्रत्येक विषय में दूसरे रैंक धारकों को छात्रवृत्ति से सम्मानित किया जाएगा जिसकी मात्रा विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्णय लिया जाएगा ।

4. उप-कुलपति द्वारा गठित समिति द्वारा विश्वविद्यालय के स्तर पर सभी प्रकार की छत्रवृत्ति और शुल्क मुक्ति संचालन किया जाएगा ।

5. निधि की उपलब्धता के आधार पर, विश्वविद्यालय में फैलोशिप स्थापित होंगे, यह समय समय पर यूजीसी या अन्य निधि एजेंसियों के मानदंड के तहत यथाअनुमोदित अध्ययन अथवा अनुसंधान के लिए होगा ।

6. विभिन्न विश्वविद्यालय परीक्षाओं में अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए मेधावी छात्रों को पुरस्कार / पदक, पुरस्कार के लिए एक योजना बनेगी ।

7. केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 के अनुसार समय समय पर विश्वविद्यालय को संस्थान के पास एंडोमेंट्स का अधिकार होना चाहिए।

8. प्रत्येक एंडॉवमेंट के चलाने के लिए और एंडॉमेंट की उद्देश्य को लागू करने के लिए कुलपति द्वारा निर्मित एक समिति बनेगी ।

9. छात्रवृत्ति, शुल्क-मुक्ति, अध्येतावृत्ति, पदक और विद्यालय में अन्य ऐसे एन्डाउमेंट्स को चलाने के लिए कार्यकारी परिषद द्वारा समय समय पर विस्तृत दिशानिर्देश तैयार किए जाएंगे ।

अध्यादेश - 44

अनुसंधान अध्ययन बोर्ड

(केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 की धारा 28 (1) और (ण) के तहत)

1. विश्वविद्यालय में अनुसंधान अध्ययन बोर्ड का गठन होगा , जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे:

(i) कुलपति / प्रति-कुलपति - अध्यक्ष - पदेन

(ii) विद्यापीठ अध्ययनों के अधिष्ठातागण - सदस्य-पदेन

(iii) विभागअध्यक्षगण - सदस्य-पदेन

(रोटेशन द्वारा 5 से अधिक नहीं)

(iv) विद्यालयों के अधिष्ठाता और विभागाध्यक्षों के अलावा - सदस्य-पदेन

(रोटेशन द्वारा 5 से अधिक नहीं)

(v) विश्वविद्याल में विभिन्न विषयों - पदेन
का प्रतिनिधित्व कर रहे कुलपति द्वारा
चार एसोसीएटप्रोफेसर नामित किया
जाना है

(vi) विश्वविद्याल में विभिन्न विषयों - सदस्य
का प्रतिनिधित्व कर रहे कुलपति द्वारा
चार बाह्य विशेषज्ञों को नामित करना है

(vii) कुलसचिव - सचिव- पदेन

2. शैक्षणिक परिषद के समग्र मार्गदर्शन के अधीन, अनुसंधान अध्ययन बोर्ड अन्य बातों के साथसाथ निम्नलिखित कार्य निष्पादन करेंगे :

(i) अनुसंधान के लिए अनुसंधान और प्रमुख महत्व क्षेत्रों के परिप्रेक्ष्य को तैयार करने के लिए, यदि कोई हो, तो उसके दायरे में अनुशासित होंगे।

(ii) राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा वित्त पोषण के लिए संस्थागत अनुसंधान परियोजनाओं का मूल्यांकन करेंगे ।

(iii)प्रत्येक विभाग में अनुसंधान की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करने के लिए और समयमय पर इसकी प्रगति की स-गंभीर समीक्षा करें ।

(iv) विभागों में अनुसंधान के प्राथमिक क्षेत्रों को इंगित करेंगे विशेष रुप से विश्वविद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय की धारा 6 (1) (i) और (xi) के तहत विश्वविद्यालय भूमिका और जिम्मेदारी के संदर्भ में और संबंधित विभागों के लिए स्वीकार किए गए प्रमुख महत्व क्षेत्रों के साथ और संकाय के सदस्यों के व्यक्तियों के हित को ध्यान में रखते हुए जहां भी आवश्यक हो वहां सुविधाएं बनायें ।

(v) कार्यकारी परिषद के अनुमोदन के लिए प्रमुख अन्वेषक और विश्वविद्यालय के बीच कंसल्टेंसी और राजस्व की शेयरिंग के लिए मानदंडों को विकसित करेंगे, और

(vi) शैक्षणिक परिषद द्वारा दिये गये अन्य कार्यों का निष्पादन करेंगे ।

IndiaCode

3. अनुसंधान अध्ययन बोर्ड की बैठक नियमित रूप से वर्ष में कम से कम दो बार होगी ।

4. अनुसंधान अध्ययन बोर्ड काम करने के लिए अपनी प्रक्रिया का निर्धारण कर सकता है।

5. बोर्ड का कुल सदस्यों का एक तिहाई कोरम बनेगा।

6. पदेन सदस्यों के अलावा अन्य सदस्यों का कार्यकाल तीन साल की अवधि के लिए होगी ।

अध्यादेश - 45

अनुबद्ध और परिदर्शक प्रोफेसर की नियुक्ति

[केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 की धारा 6 (1) (viii) और (xvi) और धारा 28(1)(ण)]

1. अनुसंधान और शिक्षण में अंतःविषय सहयोग को प्रोत्साहन देने के लिए कार्यकारी परिषद अनुवद्ध संकाय सदस्यों को नियुक्त करेगा, जो अधिमानतः अपेक्षाकृत युवा और मध्यत अनुसंधान प्रतिष्ठि / कैरियर पेशेवर और अन्य विश्वविद्यालयों-संगठनों / संस्थानों (एइसी, आईसीएसएसआर,सीएसआईआर आदि) के विशेषज्ञ हैं ।

2. इस तरह के संकाय में स्नातकोत्तर या डॉक्टरेट योग्यता होना चाहिए, और शैक्षणिक और अनुसंधान प्रत्यय पत्र रखने वालों को विश्वविद्यालय के किसी विभाग में अनुवद्ध संकाय के रूप में नियुक्ति किया जा सकता है और इसमें पीएसयू और बिजनेस कॉरपोरेशंस के प्रोफेशनल और विशेषज्ञ शामिल हो सकते हैं।

3. अनुवद्ध संकाय सदस्य की नियुक्ति एक शैक्षिक वर्ष के लिए, या दो सेमेस्टर के लिए की जाएगी ।

4. उन्हें प्रत्येक शिक्षण घंटे, / सत्र के लिए रु.1500 / - तक मानदेय दिया जाएगा जो अधिकतम रु. 30,000/- होगी ।

5. मेजबान विश्वविद्यालय छात्रों और सहकर्मियों के साथ काम करने और बातचीत करने के लिए उन्हें उचित कार्यालय-स्थान प्रदान करेगा ।

6. विश्वविद्यालय में किसी भी समय 5 से अधिक ऐसे सदस्य नहीं होंगे ।

आवासिक अध्येता

1. अनुसंधान और पेशेवर संगठन के वरिष्ठ पेशेवरों और विशेषज्ञ (उदाहरण के लिए एईसी, आईसीएसएसार, सीएसआईआर, आईसीएआर आदि) और जो पीएसयू और वाणिज्यिक संगठनों में है, और जो स्नातकोत्तर या डॉक्टरेट योग्यताएं और शैक्षणिक और अनुसंधान प्रत्यतपत्र रखते हैं वे विश्वविद्यालय के किसी विभाग में आवासिक विद्वान के रूप में नियुक्ति पा सकते हैं ।

2. एनआरआई और पीआईओ पेशेवरों और विशेषज्ञों, विदेशी संगठन में काम कर रहे व्यक्ति इन पदों के लिए पात्र हैं इसी तरह, ये पद उन विदेशी (गैर-भारतीय) पेशेवर और विशेषज्ञों के लिए खुला है जो भारत के मुद्दों पर काम कर रहे हैं।

3. आवासिक विद्यार्थी की नियुक्ति सावधिक है, नियुक्ति छः से चौबिस महीने के लिए होती है और प्रति माह रु. 80,000/- समेकित पारिश्रमिक दिया जा सकता है और प्रति वर्ष रु.1,00,000/- तक आकस्मिक अनुदान दिय जा सकता है ।

4. इसके अलावा, मेजबान विश्वविद्यालय उन्हें उपयुक्त कार्यालय-स्थान और आवास प्रदान करेगा ।

5. विश्वविद्यालय में किसी भी समय 2 से अधिक ऐसे सदस्य नहीं होंगे ।

6. कुलपति संबंधित व्यक्ति और दो संबंधित विभाग, केंद्र/संस्थान के अध्यक्षों से परामर्श करने के बाद अनुबद्ध संकाय सदस्य / आवासिक विद्यार्थी के रुप में नियुक्ति के लिए कार्यकारी परिषद को अपनी सिफारिश भेजेंगे ।

IndiaCode

अध्यादेश - 47

अधिष्ठाता समिति

[केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 की धारा 28 (1)(i) और (ण)]

1. विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय के अधिष्ठाताओं की एक समिति बनेगी जिसे अधिष्ठाता समिति के रुप में जाना जाएगा

2. अधिष्ठाता समिति का गठन निम्न प्रकार होगा :

(i) पीवीसी अथवा सबसे वरिष्ठ अधिष्ठाता	- अध्यक्ष
(ii) सभी विद्यापीठों के अधिष्ठातागण	- सदस्य (पदेन)
(iii)कुलसचिव	- सचिव

3. इस समिति का कार्य इस प्रकार होगा:

क. अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में शिक्षकों के प्रतिनियुक्ति की सिफारिश करेगा ;

ख. परीक्षाओं के संचालन, परिणाम के मानक आदि से उत्पन्न होने वाले आवश्यक मामलों पर विचार करेगा।

ग. विद्यापीठों और विभागों के कामकाज से संबंधित सामान्य प्रशासनिक मामलों पर विचार करेगा ; और

घ. ऐसे अन्य मामलों पर विचार करेंगे जो कार्यकारी परिषद द्वारा इसे दिया गया है या कुलपति द्वारा निर्दिष्ट किया गया है।

4. अधिष्ठाता समिति की बैठक अध्यक्ष द्वारा बुलाई जाएगी।

5. कुल सदस्यों की एक-तिहाई भाग समिति का कोरम होगा।

6. बैठकों के संचालन के नियमों को इस संबंध में विनियम द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

अध्यादेश - 49

छात्रों में अनुशासन

[धीरी 6 (xxii)]

1. अनुशासन में विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा अच्छे आचरण और व्यवस्थित व्यवहार का पालन शामिल है।

2. निम्नलिखित और विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर तैयार किए गए ऐसे अन्य नियमों को विश्वविद्यालय के छात्र कड़ाई से मानेंगे।

2.1 विश्वविद्यालय का हर छात्र अनुशासन बनाए रखेगा और सभी जगहों पर ठीक से व्यवहार करने का उसका कर्तव्य माना जाएगा।

2.2 छात्रों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा के रूप में घोषित स्थानों या क्षेत्रों को कोई छात्र "बाउंड ऑफ आउट" परिदर्शन नहीं करेगा।

2.3 प्रत्येक छात्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए अपने पहचान पत्र को हमेशा साथ में रखेगा।

2.4 प्रत्येक छात्र जिसको पहचान पत्र जारी किया गया है, जब विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक होगा पहचान पत्र दिखायेंगे या आत्मसमर्पण करना होगा।

2.5 कोई भी छात्र प्रतिरूपण का दोषी पाये जाने से या गलत नाम देने से, अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

2.6 पहचान पत्र खो जाने पर, तुरंत सिखित रूप में सक्षम प्रधिकारी को सूचित करेंगे, और

IndiaCode

2.7 अगर एक छात्र को एक या अधिक कक्षाओं में दिनों की अवधि के लिए बिना 15 सूचना से कक्षाओं में अनुपस्थित पाया जाता है उसका नाम नामसूची से हटा दिया जाएगा। हालांकि, निर्धारित रीडमिशन शुल्क, आदि के भुगतान पर अधिष्ठाता द्वारा अगले 15 दिनों में, फिर से दाखिला हो सकता है। उसे निर्धारित अवधि के बाद दाखिला नहीं दिया जाएगा।

3. अनुशासनहीनता में शामिल होगा

3.1 उपस्थिति में अनियमितता, लगातार आलस्य अथवा दिए गए कार्य की ओर लापरवाही या उदासीनता।

3.2 कक्षा या कार्यालय या पुस्तकालय, ऑडिटोरियम और खेल मैदना आदि में अशांति पैदा करना।

3.3 शिक्षकों या अधिकारियों के निर्देशों का उल्लंघन करना ।

3.4 विद्यार्थी निकायों या बैठकों में चुनाव के समय किसी भी प्रकार के दुरुपयोग या दुर्व्यवहार या विश्वविद्यालय के पाठयक्रम या अतिरिक्त पाठयक्रम गतिविधियों के दौरान।

3.5 परीक्षा केंद्र में किसी भी प्रकार का दुरुपयोग या दुर्व्यवहार।

3.6 विश्वविद्यालय के किसी भी कर्मचारी या विश्वविद्यालय के किसी भी आगंतुक या शिक्षक के प्रति किसी भी प्रकृति का गलत व्यवहार या दुर्व्यवहार।

3.7 विश्वविद्यालय की संपत्ति उपकरण /को नुकसान, खराब या विरूपण करना।

3.8 दूसरों को उपरोक्त कार्यों में से किसी एक करने के लिए उकसाना।

3.9 छात्रों के बीच भ्रामक या अफवाह पर प्रचार करना।

3.10 हॉस्टल के निवासियों द्वारा किए गए शरारत, दुर्व्यवहार और / या उपद्रव।

3.11 छात्रों के लिए सीमा" से बाहर के रूप में घोषित स्थानों या क्षेत्रों का "दौरा करना।

3.12 प्रॉक्टर द्वारा जारी पहचान पत्र साथ में न रखना।

3.13 विश्वविद्यालय के प्रधानाध्यापक और अन्य कर्मचारियों द्वारा जैसे और जब आवश्यक करें पहचान पत्र दिखाने या समर्पण करने के लिए मना करना।

3.14 जाति, वर्ग, धर्म, जाति के आधार पर यौन उत्पीड़न, रैगिंग या भेदभाव का कोई कार्य और रूप।

3.15 गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल होना जैसे कि प्रतिबंधित संगठनों की सदस्य होना, सक्षम अधिकारियों की बिना अनुमति से बैठकों और जुलूस का आयोजन करना ; और

3.16 किसी भी अन्य आचरण को कहीं भी, जिसे किसी छात्र के विरुद्ध माना जाता है।

4. अनुशासन के उल्लंघन से दोषी पाए गए छात्र इस तरह की दंड के लिए उत्तरदायी होंगे, जैसा कि नीचे निर्धारित है :

(1) दंड;

(2) कैंपस प्रतिबंध ;

(3) निर्वासन; और

(4) निष्कासन

हालांकि, किसी भी दोषी छात्र पर ऐसी कोई सजा नहीं दी जाएगी, जब तक उसे खुद को बचाने का उचित मौका नहीं दिया जाएगा। यह एक गंदी छात्र के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की अवधि के दौरान उसे निलबंन करने में कुलपति को नहीं रोक सकता।

IndiaCode

5. छात्र के संबंध में अनुशासन और अनुशासनात्मक कार्रवाई से संबंधित सभी शक्तियां कुलपति में निहित होगा। परंतु, कुलपति अपने सभी शक्तियां या किसी भी शक्ति को सक्षम प्राधिकारी या अनुशासन समिति या विश्वविद्यालय के किसी भी अधिकारी, जिसे वे उचित समझे, उसे प्रत्यायोजन कर सकते हैं।

6. (i) धारा 11(5) और परिनियम 28(1) का पूर्वाग्रह किये बिना, निम्नलिखित सदस्यों की एक अनुशासन समिति होगी :

(1) कुलपति का नामित व्यक्ति अथवा प्रति-कुलपति ।

(2) छात्र कल्याण अधिष्ठाता ।

(3) विद्यापीठों का अधिष्ठातागण ।

(4) वार्डन जिसे आमंत्रित किया जाएगा, जब उसके आवास जरूरी है उसे विचार के लिए समिति के समक्ष रखा जाएगा ।

(5) प्रोक्टोर (सदस्य/सचिव) ।

(i) अधिनियम और परिनियम द्वारा कुलपति को प्रदत्त किसी भी शक्ति के तहत, समिति विश्वविद्यालय के छात्रों के अनुशासन और उचित व्यवहार के मानकों से संबंधित सभी मामलों का संज्ञान लेगी और जैसा उपयुक्त समझे दोषी व्यक्तियों को दंडित करने की शक्तियां होंगी ।

(ii) उक्त समिति, ऐसे नियम बनायेगी, जो अपने कार्यों के निष्पादन के लिए उपयुक्त है और उनके तहत इन नियमों और किसी भी अन्य आदेश विश्वविद्यालय के सभी छात्रों पर बाध्यकारी होगा।

(iii) अनुशासन समिति की सिफारिशों को कुलपति के सामने प्रस्तुत किया जाएगा जिसका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। परंतु, कुलपति, की राय यह है कि मामला के गुण की समीक्षा कर सकते हैं, पुनर्विचार के लिए अनुशासन समिति को वापस मामला भेज सकता है।

(iv) कुलपति के निर्णय के खिलाफ अपील केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 की धारा 34 के तहत प्रावधानों के अनुसार किया जा सकता है ।

(v) उक्त समिति की बैठक के लिए कुल सदस्यों का एकतिहाई सदस्य कोरम का गठन करेगा।-

विशेष नोट- यदि हिंदी अनुवाद में विसंगति हो तो मूल अंग्रेजी विवरण अंतिम माना जाएगा ।

प्रो. सच्चिदानंद मोहांति, कुलपति

[विज्ञापन-III / 4 / असा. / 70 / 17]

CENTRAL UNIVERSITY OF ORISSA, KORAPUT

NOTIFICATION

Koraput, the 24th March, 2017

No. VCO/CVO/2017/168.—The following is published for general information :—

STATUTES AND ORDINANCES

ORDINANCE - 7

WRITTEN CONTRACT OF APPOINMETS

Every employee of the University shall be appointed on a written contract, the form of which is hereby prescribed and appended to this / her ordinance".

TO BE TYPED ON Rs. 10/- NON-JUDICIAL STAMP PAPER

& SUBMIT ONE ORIGINAL AND TWO COPIES THEREOF.

SERVICE CONTRACT

ARTICLES OF AGREEMEN EXECUTED his / her the _____day of _____the year Two Thousand the _____ Year of the Republic of India between _____ S/O/D/O/W/ _____ aged _____ years, residing at _____ of the first part (hereinafter called 'the party of the first part') and the Central University of …….. of the second part.

WHEREAS the Central University of..... (hereinafter referred in as the University") have engaged the party of the first part as _____

(Designation)

and the party of the first part has agreed to serve the University on the terms and conditions hereinafter contained;

Now these present witness and the parties here to respectively agree as follows:

1. The party of the first part shall submit to the orders of the University and of the authorities under whom he may from time to time, be placed by the University and shall remain in the service commencing from the date of joining duty _____subject to the terms and conditions herein contained.

 (Date)

2. The party of the first part shall devote his / her whole time and attention efficiently and diligently to his / her duties and at all time obey the rules including the University Servants Conduct Rules prescribed for the time being for the regulations of the branch of the University to which he may be attached and shall whenever required perform such duties as may be assigned to him.

3. The party of the first part shall be of the Teacher's / Officer's rank and his / her status shall be that of _____in _____

 (Designation) (Department /Centre/Office)

4. The party of the first part shall be from the date of coming into force of these presents, be granted Rs. _____(Basic Pay including the grade pay of Rs. _____) in the pay scale of Rs. _____. He/she shall also be eligible for the usual allowance admissible under the rules of the University / Govt. of India in force.

5. _____The party of the first shall, during the period of this / her agreement earn leave according to the rules applicable to him/her.

6. If the party of the first part is required to travel in the interest of the University Service; he/she shall be entitled to travelling allowance on the scale applicable to the Officers of his / her equal rank in the University.

7. His / her agreement may be terminated at any time within the said period of the age of superannuation / by either party, by giving three months' notice in writing to the other. Provided always that either party may in lieu of the notice, give to the other party a sum equal to the salary of the period which may fall short of three months.

8. The party of the first part shall be eligible to the benefit of the University Provident Fund / Pension / New Pension Scheme according to the rules applicable.

9. In regard to any matter in respect of which no provision has been made in this / her agreement, the provision of the rules made or deemed to have been made under Article 309 B & 313 of the Constitution of India, the provisions of any Act or Rule made by the University in regard to the employees borne in the category of the Teacher / Officer in the University service shall apply to the extent to which they are applicable to the service of the party of the first part under his / her agreement and the decision of the University as their applicability shall be final.

IN WITNESS WHEREOF_____the party of the first part and the (Name) Registrar acting for and on behalf of and by the order and direction of the Executive Council, have hereunto set their hands in the_____year of the REPUBLIC OF INDIA.

SIGNED BY THE PARTY OF THE FIRST PART:

IN THE PRESENCE OF:

Witness: 1)

2)

IndiaCode

(Approved by the Executive Council in its 5th Meeting held on 16.07.2010 *vide* Item No. ITEM: EC: 05/11 at New Delhi)

ORDINANCE - 12

The award of degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions, the qualifications for the same and the means to be taken relating to the granting and obtaining of the same.

1. Excepting *Honoris Causa* all degrees, diplomas and Certificates shall be awarded only on the basis of completion required/prescribed teaching - learning process and success in the examination as per regulations. Regulations prescribed by the UGC and such other Regulatory Bodies shall be suo motto applicable from time to time. The Executive Council, on the recommendation of the Academic Council may approve conferment of other academic distinctions.
2. The Vice Chancellor alone shall have a right to recommend to Academic Council withdrawal of any Degree, Diploma and Certificate including Honoris Causa on grounds of moral turpitude or conviction in a criminal court within or outside India. The Academic Council may consider such proposal and forward its recommendation to the Executive Council. The Executive Council shall have power to withdraw any degree, diploma certificate.

(Approved by the Executive Council in its 6th Meeting held on 30.09.2010 *vide* Item No. ITEM: EC: 06 - *4*/4 at New Delhi)

ORDINANCE - 15

DELEGATION OF FINANCIAL POWERS

The delegation of financial power to the Officers of Central University of Orissa should be as per the delegations stipulated in the Delegations of Financial Rules of Govt. of India.

(Approved by the Executive Council in its 5th Meeting held on 16.07.2010 *vide* Item No. ITEM: EC: 05-8 & 1st Finance Committee Meeting held on 16.07.2010 *vide* Item NO.6 at New Delhi)

ORDINANCE - 25

GAMES AND SPORTS COMMITTEE

Under Section 28 (1) (o) of the Central Universities Act 2009

1. There shall be a Games and Sports Committee consisting of the following members, namely:
 a. The Dean of Students' Welfare, who shall be the Chairperson;
 b. Two prominent sportspersons to be nominated by the Vice Chancellor;
 c. Presidents of various Games and Sports Clubs;
 d. One outstanding Sportsman/Sportswoman from among the students on rolls, nominated by the Chairman for a period of one year; and

e. The Director of Physical Education, who shall be the Ex-Officio Member- Secretary of the Games and Sports Committee.

2. The Committee shall :
 a. take measures to attract the sports talent available in the University;
 b. make arrangements and supervise the games and sports of the University and frame Regulations in this regard;
 c. propose the budgetary requirements for games and sports;
 d. allocate finances to the various Clubs;
 e. maintain the play-grounds, gymnasia, swimming pools and other sports facilities of the University;
 f. hold / organise contests, competitions, tournaments, athletic meets etc;
 g. recommend to the Vice-Chancellor the names of outstanding players/ sportspersons to be nominated for admission under sports quota, if any;
 h. recommend to the Vice Chancellor names of the Outstanding player/Sportspersons for training/coaching facilities/stipend, if any; and
 i. perform such other functions, as may be assigned to it by the Executive Council/ Academic Council/ Vice-Chancellor from time to time.

3. The Director, Physical Education will operate the budget under the supervision of the Dean of Students' Welfare.

4. The committee shall hold its meeting at least once in a semester under the supervision of the DSW:

5. One-third of the total members shall form the quorum for a meeting of the Committee.

ORDINANCE - 28

GRANT OF FREESHIPS TO STUDENTS
(Under Section 28(1) (f) of the Act)

1) The Dean of the School, on the recommendation of a Committee consisting of the following, shall grant free-ships up to the percentage which may be prescribed by the University Grants Commission in this regard:

 i) Dean-Chairperson;

 ii) All Heads of Departments / Centres of the School concerned;

 iii) One student from each Department/Centre concerned nominated by the Vice- Chancellor.

2) If number of applicants for free-ships is more than the number of free-ships available, the committee referred to in sub-clause (i) may recommend half free-ships to some of the applicants so that the total of free-ships does not exceed the prescribed percentage.

3) Applications for concession in fees shall be submitted on the prescribed form to the Dean of the School concerned through the Head of the Department/Centre by 31st August or by such other date as may be specified by the Dean. Applications received after that date shall not ordinarily be entertained.

4) The following factors shall be taken into account while making recommendation on the applications of students for grant of free-ships:

 i) Academic record of the student;

 ii) His/her progress in studies in the case of renewal of free-ships;

 iii) His/her financial position; and

 iv) Any other factor, which shall also be recorded.

 The list of students to whom concessions have been awarded ordinarily shall be notified by 31 December.

NOTE: The student should fulfill the means criteria, i.e. to those students who belong to non-creamy layer as defined by the Department of Personnel & Training in their Notification No. 36012/22/93-Estt. (SCT) dated 8.11.1993 and amended from time to time. In order to prove the means criteria, the student is required to submit income certificate issued by the competent authority on their prescribed format, clearly indicating the annual income from all sources with separately indicating the sources of income of their parents/guardians. Any deliberate falsification in the income certificate and/or other enclosed documents with the application discovered at any stage will be considered as a grievous offence and may invite serious disciplinary action under the rules of the University.

5) Free-ships granted during the academic year shall not be renewed automatically in the following year. The students in need of such concession shall submit fresh applications every year, which shall be considered along with new applications received in the year.

6) A free-ship granted to a student may be cancelled if his/her conduct or progress in studies is found to be unsatisfactory or if his/her financial condition improves and he/she is no longer in need of fee concession.

7) The fee concession (free-ship/half-free-ship) is confined to Tuition fees of that particular academic year only.

8) If a student, who has been sanctioned free-ship/half free-ship, has already paid the fees, the fee may be reimbursed. If, the student has not paid the fees, the fee concession shall be adjusted towards fees and any other dues.

ORDINANCE - 31

CURBING THE MENACE OF RAGGING IN UNIVERSITY AND

HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS UNDER ITS JURISDICTION

[Act Section 28 (n)]

Ragging is prohibited and punishable under the UGC Regulations on "Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions (2009)" as issued and amended by the UGC from time to time.

IndiaCode

ORDINANCE-32

APPOINTMENT, FUNCTIONS, DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE DEAN

Under section 28(1) Clause 5 (3) of the Central University Act, 2009

1) The Dean of the School shall be appointed by the Vice-Chancellor from amongst the Professors in the School concerned by rotation in order of seniority.

2) Provide that if there is no Professor in the school, the Dean shall be appointed, for the time being, from amongst the Associate Processors in the school by rotation in order of seniority.

3) The tenure of the Dean of the School shall be three years or till he/she attains the age of superannuation, whichever be earlier.

4) The Dean of a School shall be the Head of the School and shall be empowered to convene and chair the meeting of the school board.

5) The Dean of the School shall be responsible for the conduct and maintenance of standards of teaching and research in the School and shall:

a) be entitled to such allowances and amenities as the Executive Council may approve from time to time.

b) provide effective leadership and guidance in the policy, curriculum planning and implementation of the School activities.

c) be responsible for overall coordination within the school and also coordinate the conduct of exams and award of the marks sheet;

d) be responsible for overall performance and discipline of the school.

e) be responsible for overall administration, upkeep and maintenance of all the buildings and properties of the School.

f) operate the Budget of the School.

g) be responsible for the records, furniture and equipments under him.

h) be empowered to remove the name from the rolls and readmit a student in the School concerned with the approval of competent authority.

i) be empowered to withhold the Hall Ticket of student of the School for valid reasons. and

j) exercise such other powers and perform such other functions, as may be delegated or assigned to him.

ORDINANCE - 36

CONDITIONS OF RESIDENCE OF THE STUDENTS AND FUNCTIONS, DUTIES, RESPONSIBILITIES AND PROCEDURE OF APPOINTMENT OF PROVOST & WARDENS OF THE UNIVERSITY

Under Section 28(1)(h) and 28(2) of the Central Universities Act, 2009

1) There shall be Halls of Residence for resident students. Each Hall Residence shall, consist of as many Hostels as may be allocated by the Academic Council from time to time.

2) Students will be admitted to the Halls of Residence/Hostels subject to availability of seats. Those of the students who are not admitted to the halls of Residence/ Hostels shall be treated as members of Non Resident Students Centres (NRSC)

3) The students residing in the University Hostel shall pay such fees as may be prescribed by the Executive Council from time to time. Similarly, the members of the NRSC shall be required to pay such membership fees as may be prescribed by the Executive Council from time to time.

4) Every Hall of residence shall maintain such Registers and records, as may be prescribed by the University, and shall furnish such statistical information as the University may require, from time to time.

5) Every resident shall have to observe discipline as per pet the hostel rules.

6) Students residing in the Hostels shall be governed by the following Regulations:

a) students residing in the Hostel shall assemble for the roll call in the Common Hall at 8.00 P.M daily.

b) students residing in the Hostels shall be allowed to meet only such visitors in the visitors room on Sundays/Holidays and other approved days from 5.00 P.M to 6.30 P.M as have been permitted in writing, by their Legal/or Local guardians.

IndiaCode

c) The natural/legal guardian of the women students residing in the women's Hostels, shall nominate local guardian(s) and affix their photographs in a prescribed form. These forms shall remain in the custody of the administrative Warden concerned.

d) students who desire to go out of the Hostel for a few hours to make purchases or for any other valid reason shall leave the hostel only after obtaining prior permission from the Administrative Warden/Warden. A record of the permission so given will be maintained in a Register.

e) No student residing in the Hostels shall accommodate guests in her room. In exceptional cases or near female relations, the student may approach the Warden.

7) The Chief Warden shall exercise such powers and perform such duties in respect of the maintenance of discipline in the Halls of Residence, as may be delegated/assigned to him/her by the Vice-Chancellor.

8) The Chief Warden shall hold officer for a period of three years and shall be eligible for reappointment.

9) The Chief Warden shall be entitled to such allowances and amenities as the Executive Council may approve from time to time.

10) The Chief Warden shall be assisted by Wardens who shall be appointed by the Vice-Chancellor for a term of three years, on such terms and conditions as may be prescribed by the Executive Council from time to time.

11) The Chief warden shall have the power to:

a) take cognizance of any breach of discipline in the Halls of Residence, and if the circumstances so require, to take immediate disciplinary action in such cases.

b) supervise the Hall(s) of residence in his/her charge in matters relating to the overall functioning of the hostels in the Hall, the welfare of the residents and discipline;

c) inspect periodically the Hostels and be in contact with the Wardens, staff and students;

d) permit stay of any guest according to the Hostel Rules;

e) take punitive action, including the ordering of eviction of a resident from the Hostel;

f) suspend mess facilities in respect of resident students defaulting payment of Mess Bills; and

g) prepare and operate the budget of the Hall of residence with due approval of the Vice-Chancellor;

h) Sanction leave for Wardens in the Hall;

12) The Chief warden shall be responsible:

a) to ensure maintenance of discipline and decorum in the Halls of residence;

b) for all matters relating to health, hygiene, sickness, food, sanitation and cleanliness of the Hall;

c) for supervising the functioning of the Mess and the working of the Mess Staff;

d) for supervision of the purchases and procurement of mess stores, provisions ,etc.;

e) to ensure the correctness of receipts, issuance of mess stores, crockery, etc. and or /the stock balance.

f) For the verification of Stock Register and bills received from suppliers with reference to the Stock register;

g) drawl and adjustment of temporary advance;

h) for the overall security of the Hostels in coordination with the security staff of the University

13) Each Hostel shall have Wardens, who shall be appointed by the Vice-Chancellor for a period of three years, from amongst the teachers of the University on such terms and conditions as may be prescribed by the Executive Council from time to time.

14) There shall be up to maximum of four Wardens for each Hostel for two hundred students.

15) The Chief Warden may, if necessary, designate one of the Wardens in a Hostel as Senior Warden, Warden (Mess), Warden (Sports), Warden (Common Room), etc.

16) The Wardens shall be entitled to such honorarium as may be decided by the Executive Council from time to time.

17) The Warden shall ordinarily be required to stay in the Warden's accommodation during the tenure of his/her office. On the expiry of his/her term or on the termination of his/her appointment, the Warden shall be required to vacate his/her accommodation.

IndiaCode

18) The warden shall also be required to vacate the room before proceeding on leave for a period exceeding 90 days during his/her tenure, unless he/she is granted-special permission by the Vice-Chancellor on the recommendation of the Chief Warden concerned for retaining the room.

19) The Wardens of Hostels shall perform such duties as are assigned to them by the Provost form time to time and they shall function under the overall charge of the Chief Warden. In addition to specific duties assigned by the Provost, the Wardens shall:

a) be responsible for the health, hygiene, sanitation, cleanliness and food of the resident students;

b) ensure that the resident students in his/her charge observe the rules framed by the University relating to the maintenance of discipline and decorum in the Hostel;

c) have the right to inspect Hostel Rooms;

d) be individually and collectively responsible for the smooth functioning of the Hostels;

e) ensure that the resident students in his/her charge observe the Hostel Rules properly and maintain discipline and decorum and shall promptly report to the Chief warden all cases of misbehavior, indiscipline and sickness of the resident students in his/her charge;

f) be available in the Hostel Office everyday at specified hours to attend to official business and to the problems of resident students;

g) be responsible for the proper up keep and maintenance of such properties of the, concerned Hostel, as are under his/her charge;

h) allot and supervise Hostels Rooms and Guest Rooms;

i) check the Resident Student's Register and the Guest Room Register;

j) permit stay of a resident student's guest up to a period of 3 days, if necessary;

k) take disciplinary action against a resident student for keeping any unauthorized guest;

l) order double-locking of rooms of resident students and their re-opening, when required;

m) take action for the eviction of resident students in consultation with the Senior Warden; and

n) Periodically verify the furniture and fittings of the Hostel with the assistance of the Caretaker and take action for their repairs/replacement for obtaining additional furniture.

20) A teacher who has been appointed as Warden shall not be sanctioned leave without the prior approval of the Provost. When a Warden is on leave, his/her responsibilities and functions will be distributed among the other Wardens for the duration of his/her absence.

21) Honorarium for Chief warden @ Rs.2500 P.M and for warden @ Rs.1500 P.M

22) Telephone / Cell Phone bill can be reimbursed up to a maximum amount of Rs.500 P.M on production of actual bill.

ORDINANCE - 37

UNIVERSITY LIBRARY COMMITTEE

Under Section 28 (1) (0) of the Central Universities Act 2009

1) There shall be a University Library Committee consisting of the following Members, namely;

a) Vice-Chancellor, who shall be the Chairman

b) Pro- Vice Chancellor

c) Registrar

d) Finance Officer

e) Deans of the Schools including DSW

f) The senior most professor from each of the Schools to be appointed by the Vice Chancellor by rotation in order of seniority

g) Three Faculty members to be nominated by the Vice-Chancellor from different Schools

h) Librarian, who shall be the Convener

2) The term of office of the Members of the Library Committee, other than the ex-officio members, shall be one calendar year.

IndiaCode

3) The Committee shall :

a. exercise general supervision over the University Central Library, and all the other Libraries of the University;

b. frame Regulations for the management and use of the Libraries subject to the approval of the Academic Council;

c. allocate funds to various Departments, assess the requirements of the Library and other Libraries and frame budget to be submitted to the Authorities concerned;

d. submit to the Academic Council of the working of all the Libraries of the University annually;

e. recommend to the Executive Council the creation of any new post in the Libraries;

f. formulate and administer proposals concerning the development of libraries of the University.

4) The Committee shall meet at least twice in a year.

5) 50% of the total number of members shall constitute the quorum for the meeting of the Committee.

6) The Convener shall issue to each member a Notice convening the meeting and a copy of the. Agenda at least seven days before each Ordinary Meeting of the Committee. In case of the Extra Ordinary Meeting, the notice and agenda has to be sent at least 24 hours before the meeting.

ORDINANCE - 38

CONSTITUTION, POWERS AND FUNCTIONS OF THE SCHOOL BOARD

[Statue 15(3) & (4) of the Statues of the Central Universities Act, 2009]

1) Each School shall have a School Board which shall consist of the following members:

a) Dean of the School who shall be the Chairperson;

b) Heads of the Departments in the School;

c) Directors of the Centers in the School;

d) All Professors in the School;

e) One Associate Professor from each Department/Centre in the School to be appointed by rotation in order of seniority from each Department/Centre in the School;

f) One Assistant Professor from each Department/Center in the School to be appointed by rotation in order of seniority from each Department/Centre in the School;

g) Three experts not in the service of the University having special knowledge of the subject or subjects concerned, around which the Departments/Centres in the School are organised, nominated by the Academic Council;

h) Two professors to be nominated by the Vice-Chancellor from amongst the professors of the Allied and Cognate Schools/Discipline;

2) The term of the Office of the members other than ex-officio members shall be three years and they shall be eligible for re-nomination.

3) The School Board shall, subject to the overall supervision of the Academic Council of the University, perform the following functions:

a) To prescribe the qualifications for and procedures for admission of candidates to the various Programmes of the Studies in the Departments/Centres of the School;

b) To co-ordinate the teaching and research work in the Departments/Centres in the School;

c) To consider and approve subjects for research for various degrees and other requirements of research degrees, as recommended by the Board of Studies.

d) To constitute committees to organise the teaching and research work in the subjects or areas which do not fall within the sphere of any Department/Centre in the School and to supervise the work of such committees;

e) To recommend to the Academic Council the creation or abolition of teaching posts, and to consider proposals received from the Departments/Centres or committees mentioned in clause (d) above;

f) To consider schemes for the advancement of the standards of teaching and research, and to submit proposals in this regard to the Academic Council;

g) To promote and review research within the School and to submit report on research to the Academic Council;

IndiaCode

h) To frame general rules and guidelines for the evaluation of continuous internal assessment including the Counseling Activities & Tutorials (CAT), assignments, quizzes, sessional work, Mid-Term and End-Semester Examinations;

i) To recommend to the Academic Council, the award of research degrees to candidates who have been found qualified and fit to receive such degrees;

j) To consider and act on any proposal regarding the welfare of the students of the School;

k) To perform all other functions which may be prescribed by the Act, the Statutes and the Ordinances, and to consider all such matters as may be referred to it by the Executive Council, the Academic Council or the Vice-Chancellor; and

l) To delegate to the Dean, or to any other member of the Board or to a Committee such powers, general or specific, as may be decided upon by the Board from time to time.

Meetings of the School Board

4) The Board shall hold at least two ordinary meetings in an Academic year, one in each semester;

5) The Dean may convene special meetings of the Board at his/her own initiative or at the suggestion of the Vice-Chancellor or on a written request from at least one-fifth of the members of the Board;

Quorum

6) The quorum for the meeting of the Board shall be one-third of its total members.

Notice

7) Notice for any meeting of the Board shall be issued at least 14 days before the

date fixed for the meetings.

8) The Dean may convene emergency meeting of the Board at short notice.

Rules of Business

9) Rules of conduct of the meetings shall be as prescribed by the Regulations in this regard.

ORDINANCE - 39

THE ALUMNI ASSOCIATION

Under Clause 35(2) of the Central Universities Act, 2009

1. There shall be an Alumni Association of the University.

2. The objective of the Association shall be to promote the objectives of the University, to maintain contacts and solidarity among the graduates of the University, and to raise funds for the development of the University.

3. The Membership of the Association shall be open to all the degree holders of the University, including the holders of diplomas and certificates.

4. The Membership Fee of the Association, shall be Rs.500/-per year and Rs.10,000/- for life or as decided by the Executive Council of the University from time to time.

5. There shall also be an Alumni Association Admission fee of Rs.100/- which shall be collected at the time of admission of students in the University.

6. The application for membership shall be in a form prescribed by the University.

7. The Executive Committee of the Association shall consist of the (a) President ; (b) Vice President ; (c) General Secretary ; (d) Joint Secretary; (e) 10 other Members.

8. The Vice-Chancellor shall be the ex-officio Patron. All other office-bearers and members of the Association shall be elected for a term of three years.

9. No Member of the Association shall be entitled to vote or stand for election unless he/she has been a member of the Association for at least one year prior to the date of the election and is a degree holder of the University of at least five years' standing.

10. Provided that the condition relating to the completion of one year membership shall not apply in case of the first election.

11. The funds of the Association shall be managed by the Finance Officer of the University who will maintain a separate account for the purpose.

12. The election of the Association and all its meetings shall be conducted in the manner to be prescribed by Regulations.

13. In case of any difficulty in operating any clause of the Ordinance the matter shall be referred to the Vice-Chancellor whose decision thereon shall be final.

ORDINANCE - 43

AWARD OF FELLOWSHIPS, SCHOLARSHIPS,

STUDENTSHIPS, MEDAL AND PRIZES

[Section 6 (1) (xii) and Section 28 (1) (f) of the Act]

1. In order to encourage meritorious and deserving students to pursue Courses of studies and research in the University without great financial strain, the University shall strive to provide for adequate number of the Scholarships, Fellowships, Studentships and Free-ships, for financial help, and also provide for award of Medals and Prizes.

2. There shall be instituted Scholarship in every subject to be awarded to the students of the University subject to availability of funds. Rules for award of the same will be laid down in the Regulations.

3. There shall be fee concession in the form of half and full Free-ships of tuition fee in each School and teaching Departments as per norms of the UGC.

4. There shall also be a scheme of merit Scholarship, subject to availability of funds where the first and second rank holders in every subject will be awarded Scholarship the quantum of which shall be decided by the University from time to time.

5. All type of Scholarships and Free-ships shall be administered at the University level by a Committee to be constituted by the Vice-Chancellor.

6. There shall be Fellowships instituted in the University, subject to availability of funds, for studies or research as approved under the norms of UGC or other funding Agencies from time to time.

7. There shall be a scheme to award medals/prizes to the meritorious students of the University for their best performance in various University Examinations.

8. The University shall have to power institute endowments from time to time in accordance with the Central Universities Act 2009.

9. There shall also be a Committee constituted by the Vice-Chancellor for administration of each endowment and to implement the objects of the endowment.

10. Detailed guidelines shall be framed from time to time by the Executive Council governing the administration of Scholarship, Free-ships, Fellowships, Medals and other such endowments created in the University.

ORDINANCE - 44

BOARD OF RESEARCH STUDIES

[Section 28 (1) and (0) of the Act]

1. There shall be a constituted Board of Research Studies comprising of the following :

(i) Vice-Chancellor / PVC- Chairperson	- Ex-officio
(ii) Deans of Schools of Studies	- Members –Ex-officio
(iii) Heads of Departments (not exceeding 5 by rotation)	- Members –Ex-officio
(iv) Professors other than Deans of Schools and Heads of Departments (not exceeding 5 by rotation)	- Members –Ex-officio
(v) Four Associate Professor to be nominated by the Vice-Chancellor representing different disciplines In the University	- Members

(vi) Four external experts to be nominated - Members

by the Vice-Chancellor representing different

disciplines in the University

(vii) Registrar - Secretary –Ex-officio

2. Subject to the overall guidance of the Academic Council, the Board of Research Studies shall perform, interalia, the following functions:
 (i) To prepare a perspective of research and major thrust areas for research, if any, in the discipline under its purview.
 (ii) To evaluate institutional research projects for funding by national / international agencies.
 (iii) To review the current status of research in each department and critically examine the progress thereof from time to time.
 (iv) To indicate the priority areas of research in the departments particularly with reference to the role and responsibility of the University under Section 6 (1) (i) and (xi) of University Act taking in to account the facilities available in the University and also create facilities wherever necessary in keeping with the major thrust areas accepted for the concerned Departments and individuals interest of the members of the faculty.
 (v) To evolve norms for consultancy and sharing of revenue between the Principal Investigator and the University for approval of the Executive Council, and
 (vi) To perform such other functions as may be assigned to it by the Academic Council.
3. The Board of Research Studies shall meet regularly at least twice a year.
4. The Board of Research Studies may determine its own procedure for working.
5. The quorum of the Board shall be one-third of the total members.
6. The term of office of the members other than ex-officio members shall be for a period of three years.

ODRINANCE - 45

APPOINTMENT OF ADJUNCT FACULTIES AND VISITING PROFESSOR

[Section 6 (1) (viii) and (xvi) and Section 28(1) (0) if the Act]

1. To encourage interdisciplinary collaboration in research and teaching, the Executive Council shall appoint adjunct faculty members, who preferably are relatively younger and mid-career professionals and specialists from other Universities / reputed research institutions / organizations (AEC, ICSSR, CSIR, ICAR, etc.)
2. Such faculty should possess postgraduate or doctoral qualification and have academic and research credentials; will be eligible for appointment as Adjunct Faculty in a University Department and may also include professionals and specialists from PSUs and business corporations.
3. The adjunct faculty member will be appointed on a tenure appointment for one academic year, or for two semesters.
4. They will be offered a token honorarium up to Rs.1500/- per teaching hour/session, subject to a maximum of Rs.30, 000/- per month.
5. The host University will provide them suitable office-space to facilitate their working and interaction with students and peers.
6. There will not be more than 5 such members at any given time in the University.

SCHOLARS-IN-RESIDENCE

1. Senior professionals and specialists from research and professional organization (for example AEC, ICSSR, CSIR, ICAR, etc.) and those with PSUs and business corporations, with postgraduate or doctoral qualifications and with academic and research credentials will be eligible for appointment as Scholar-in Residence in University Department.
2. NRI and PIO professionals and specialists, working in overseas organization, will also be eligible for these positions. Similarly, these positions will be open to those overseas (non-Indian) professionals and specialists who have been dealing with India issues in their work.
3. The Scholar-in-residence will be appointed on a tenure appointment ranging between six and twenty-four months and will be offered a consolidated remuneration of up to Rs.80, 000/- a month, and a contingency grant of Rs.1, 00,000/- per annum.
4. Besides, the host University will provide them suitable office-space and residential accommodation.
5. There will not be more than 2 such members at any given time in the University.

6. The Vice-Chancellor after consulting the person concerned and the Heads of two concerned Department/Centre/Institute shall make his recommendation to the Executive Council for appointment as an adjunct faculty member / scholar in residence.

ORDINANCE - 47

DEANS' COMMITTEE

[Section 28 (1) (/) and (0) of the Act]

1. The University shall constitute a Committee of Deans of the University to be known as the Deans' Committee.
2. The Deans' Committee shall comprise the following:

(iv)	PVC or Senior most Dean	- Chairman
(v)	All Deans of Schools	- Members (Ex- Officio)
(vi)	Registrar	- Secretary

3. The function of this committee will be as follows :

a. To recommend deputation of teachers for International Conference;

b. To consider such matters as may be necessary arising from the conduct of examinations, standard of result, etc.

c. To consider general administrative matters relating to functioning of Schools and Departments; and

d. To consider such other matters as may be assigned to it by the Executive Council or may be referred to by the Vice-Chancellor.

4. The meetings of the Deans' Committee shall be convened by the Chairperson.
5. The quorum of the Committee shall be 1/3rd of the total number.
6. The rules of conduct of meetings shall be as may be prescribed by Regulations in this regard.

ORDINANCE - 49

STUDENTS DISCIPLINE

[Section 6 (xxii)]

1. Discipline includes the observance of good conduct and orderly behavior by the students of the University.
2. The following and such other Rules as framed by the University from time to time, shall strictly be observed by the students of the University.

2.1 Every student of the University shall maintain discipline and consider it his/her duty to behave decently at all places.

2.2 No student shall visit places or areas declared by the University as "Out of Bounds" for the students.

2.3 Every student shall always carry his/her Identity Card issued by the competent authority.

2.4 Every student, who has been issued the Identity Card, shall have to produce or surrender the Identity Card, as and when required by the University.

2.5 Any student found guilty of impersonation or of giving a false name shall be liable to disciplinary action.

2.6 The loss of the Identity Card, whenever it occurs, shall immediately be reported in writing to the competent authority, and

2.7 If a student is found to be continuously absent from classes without information for a period of 15 days in one or more classes, his/her name shall be struck off the rolls. He/she may, however, be readmitted within the next fortnight by the Dean on payment of the prescribed readmission fee, etc. He/she will not be readmitted beyond the prescribed period.

3. Indiscipline shall include

3.1 Irregularity in attendance, persistent idleness or negligence or indifferences towards the work assigned.

3.2 Causing disturbance to a Class or the Office or the Library, the auditorium and the Play Ground, etc.

3.3 Disobeying the instructions of teachers or the authorities.

3.4 Misconduct or misbehavior of any nature at the time of elections to the student bodies or at meetings or during curricular or extra-curricular activities of the University.

3.5 Misconduct or misbehavior of any nature at the Examination Centre.

3.6 Misconduct or misbehavior of any nature towards a teacher of any employee of the University or any visitor of the University.

3.7 Causing damage, spoiling or disfiguring to the property/equipment of the University.

3.8 Inciting others to do any of the aforesaid acts.

3.9 Giving publicity to misleading or rumor amongst the students.

3.10 Mischief, misbehavior and/or nuisance committed by the residents of the hostels.

3.11 Visiting places or areas declared as "out of bounds" for the students.

3.12 Not carrying the Identity Cards issued by the Proctor

3.13 Refusing to produce or surrender the Identity Card as and when required by- Proctorial and other Staff of the University.

3.14 Any act and form of sexual harassment, ragging or discrimination on the basis of caste, category, religion, race.

3.15 Engaging in unlawful activities that includes membership of banned organizations, organizing meetings and processions without due permission of the competent authorities; and

3.16 Any other conduct anywhere which is considered to be unbecoming of a student.

4. Students found guilty of breach of discipline shall be liable to such punishment, as prescribed below:

(1) Fine;

(2) Campus Ban;

(3) Expulsion; and

(4) Rustication

However, no such punishment shall be imposed on an erring student unless he/she is given a fair chance to defend himself/herself. This shall not preclude the Vice-Chancellor from suspending an erring student during pendency of disciplinary proceedings against him/her.

5. All powers relating to discipline and disciplinary action in relation to the student shall vest in the Vice-Chancellor. However, the Vice-Chancellor may delegate all or any of his powers as he deems proper to the competent authority or the Discipline Committee as the case may be or any functionary of the University.

6. (i) Without prejudice to Section 11(5) and also Statue 28(1), there shall be a Discipline Committee comprising of the following members:

(1) Vice-Chancellor's nominee or Pro-Vice-Chancellor

(2) Dean Students' Welfare

(3) Deans of Schools

(4) Warden, who shall be invited, when the matter concerning his/her Hall of Residence is required to be placed before the Committee for consideration.

(5) Proctor (Member/Secretary)

(i) Subject to any powers conferred by the Act and the Statue on the Vice-Chancellor, the Committee shall take cognizance of all matters relating to discipline and proper standards of behavior of the students of the University and shall have the powers to punish the guilty as it deems appropriate.

(ii) The said Committee shall, make such Rules as it deems fit for the performance of its functions and these Rules and any other Orders under them shall be binding on all the students of the University.

(iii) The recommendations of the Discipline Committee shall be submitted to the Vice- Chancellor whose decision will be final and binding. However, the Vice-Chancellor, is of the opinion that the case merits' review, may refer the case back to the Discipline Committee for reconsideration.

(iv) Appeal against the decision of the Vice-Chancellor will be dealt in accordance with the provisions of Section 34 of the Central Universities Act, 2009.

(v) One-third of the total members shall constitute the quorum for a meeting of the said Committee.

Prof. SACHIDANANDA MOHANTY, Vice-Chancellor

[ADVT.-III/4/Exty./70/17]

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2017.05.18 15:11:14 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.